संख्या- 47/2015/71/22-4-15-48(12)/10

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 **लखनऊ दिनांक-20 फरवरी, 2015**

विषय- लेखाशीर्षक 102-जेल उत्पाद-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र के मद में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1018/उद्योग-6/2014-15, दिनांक-14.01.15 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश की कारागारों में स्थापित उद्योगों के संचालन हेतु मशीनों/उपकरणों के क्रय हेतु रू0 7,47,130.000/-(रूपये सात लाख सैंतालिस हजार एक सौ तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) मशीनों/उपकरणों का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि से नवीन उपकरण क्रय किये जायेंगे तथा इस मद से मरम्मत पर धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

(3) उपकरणों के क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक खाता तथा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) किसी भी अनियमितता के लिए महानिरीक्षक कारागार उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक-102-जेल उत्पाद-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 47/2015/71 (1)/22-4-2015-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एंव सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in